अध्याय 7

प्रतिभूति संव्यवहार कर

विस्तार, प्रारंभ और लागू होना ।

86. (1) इस अध्याय का विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

(3) यह इस अध्याय के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों को लागू होगा ।

परिभाषाएं ।

87. इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

1961 का 43

(1) "अपील अधिकरण" से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 252 के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(2) "निर्धारण अधिकारी" से वह आय-कर अधिकारी या सहायक आय-कर आयुक्त या उप आय-कर आयुक्त या संयुक्त आय-कर आयुक्त या अपर आय-कर आयुक्त अभिप्रेत है, जो बोर्ड द्वारा इस अध्याय के अधीन निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त या उसे समनुदेशित सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ;

1963 का 54

(3) "बोर्ड" से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अभिप्रेत है ;

1956 का 4

(4) "व्युत्पन्न" का वही अर्थ है, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (कक) में है ;

1956 का 4

(5) "सरकारी प्रतिभूति" का वही अर्थ है, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ख) में है ;

1956 का 4

(6) "प्रतिभूति विकल्प करार" का वही अर्थ है, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (घ) में है;

(7) "विकल्प प्रीमियम" से, "प्रतिभूति विकल्प" के क्रेता द्वारा ऐसे क्रय के समय संदेय प्रीमियम अभिप्रेत है ;

(8) "विहित" से इस अध्याय के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

1956 का 4

(9) "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज" का वही अर्थ है, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में है ;

1956 का 4

(10) "प्रतिभूति" का वही अर्थ है, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में है ;

(11) "प्रतिभूति संव्यवहार कर" से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों पर उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है ;

(12) "स्ट्राइक कीमत" से वह कीमत अभिप्रेत है, जिस पर प्रतिभूति करार विकल्प का ऐसे विकल्प की समाप्ति की तारीख पर प्रयोग किया जा सकता है ;

(13) "कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार" से भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में प्रतिभूतियों के क्रय के लिए किया गया कोई संव्यवहार अभिप्रेत है ;

(14) ऐसे शब्द और पद, जो इस अध्याय में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 या आय-कर अधिनियम, 1961 या उनके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, यावत्शक्य प्रतिभूति संव्यवहार कर के संबंध में लागू होंगे । 1956 का 42 1961 का 43

प्रतिभूति संव्यवहार कर का प्रभार ।

88. इस अध्याय के प्रारंभ से ही, किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों के मूल्य के 0.15 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति संव्यवहार कर प्रभारित किया जाएगा और ऐसा कर प्रतिभूति क्रेता द्वारा संदेय होगा । 5

कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों का मूल्य।

89. कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों का मूल्य—

(क) "प्रतिभूति विकल्प करार" से संबंधित कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों की दशा में, तय पाई जाने वाली (स्ट्राइक) कीमत और ऐसे "प्रतिभूति विकल्प करार" के विकल्प प्रीमियम का योग होगा ;

(ख) "वायदे के सौदे" से संबंधित कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों की दशा में, वह कीमत होगी, जिस पर ऐसे वायदे के सौदों का व्यापार किया जाता है ; और 10

(ग) किन्हीं अन्य कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों की दशा में वह कीमत होगी, जिस पर ऐसी प्रतिभूतियों को क्रय किया जाता है ।

प्रतिभूति संव्यवहार कर का संग्रहण और वसूली ।

90. (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से, जो उस स्टाक एक्सचेन्ज में कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार करता है, धारा 85 में विनिर्दिष्ट दर पर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संग्रहण करेगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी कलेन्डर मास के दौरान संगृहीत प्रतिभूति संव्यवहार कर प्रत्येक निर्धारिती द्वारा उक्त कलेन्डर मास के ठीक पश्चात्वर्ती मास के सातवें दिन तक केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त किया जाएगा । 15

(3) कोई मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज जो उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने में असफल रहता है, ऐसी असफलता के होते हुए भी, उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार के खाते में कर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज द्वारा विहित विवरणी का दिया जाना ।

91. (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज, (जिसे इसके पश्चात् इस अध्याय में "निर्धारिती" कहा गया है), हर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय के भीतर, उस स्टाक एक्सचेन्ज में उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों के संबंध में, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से सत्यापित और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, जो विहित की जाएं, एक विवरणी तैयार 20 करेगा और निर्धारण अधिकारी या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण को उसे परिदत्त करेगा या करवाएगा।

(2) जहां कोई निर्धारिती, विहित समय के भीतर उपधारा (1) के अधीन विवरणी देने में असफल रहता है, वहां निर्धारण अधिकारी ऐसे निर्धारिती को एक सूचना जारी कर सकेगा और उस पर उसकी तामील यह अपेक्षा करते हुए कर सकेगा कि वह विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विवरणी प्रस्तुत करे।

(3) कोई निर्धारिती, जिसने उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत नहीं की है या उपधारा 25 (1) या उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर चुकने पर उसे उसमें किसी लोप या गलत कथन का पता लगता है तो वह, यथास्थिति, निर्धारण किए जाने के पूर्व किसी समय विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।

निर्धारण ।

92. (1) इस अध्याय के अधीन कोई निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी किसी ऐसे निर्धारिती पर, जो मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज है, जिसने धारा 91 के अधीन विवरणी प्रस्तुत की है या जिस पर धारा 91 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई है (चाहे कोई विवरणी की गई है या नहीं), किसी सूचना की तामील कर सकेगा, जिसमें उससे उसमें विनिर्दिष्ट 30 की जाने वाली तारीख को, ऐसे लेखाओं या दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य, जिनकी निर्धारण अधिकारी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने या कराने की अपेक्षा की जाएगी और समय-समय पर और सूचनाओं की तामील कर सकेगा जिससे उससे ऐसे लेखाओं या दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य की, जिसकी वह अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(2) निर्धारण अधिकारी ऐसे लेखाओं, दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, जो उपधारा (1) के अधीन उसने प्राप्त किए हैं और किसी अन्य सुसंगत सामग्री को ध्यान में रखने के पश्चात्, जो उसने एकत्रित की हैं, लिखित में आदेश द्वारा 35 सुसंगत वित्तीय वर्ष के दौरान मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों का मूल्य और ऐसे निर्धारण के आधार पर संदेय या प्रतिदेय प्रतिभूति संव्यवहार कर की रकम अवधारित करेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई निर्धारण सुसंगत वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज, यदि उपधारा (2) के अधीन निर्धारण पर उसे कोई रकम प्रतिदत्त की जाती है तो ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संबंधित व्यक्ति को, जिससे ऐसी रकम संगृहीत की गई थी, उस रकम का प्रतिदाय करेगा । 40

भूल की परिशुद्धि।

93. (1) निर्धारण अधिकारी, अभिलेख से प्रकट किसी भूल की परिशुद्धि करने की दृष्टि से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश को, उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें वह आदेश जिसमें संशोधन किया जाना चाहा गया था, पारित किया गया था एक वर्ष के भीतर संशोधित कर सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश से संबंधित अपील के रूप में किसी कार्यवाही में किसी मामले पर विचार किया गया है और उसका विनिश्चय किया गया है, वहां ऐसा आदेश पारित करने वाला निर्धारण अधिकारी, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात 45 के होते हुए भी, उस मामले से, जिस पर इस प्रकार विचार किया गया है और जिसे विनिश्चित किया गया है, भिन्न किसी मामले के संबंध में उस उपधारा के अधीन आदेश का संशोधन कर सकेगा ।

(3) इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारण अधिकारी,—

(क) स्वप्रेरणा से उपधारा (1) के अधीन कोई संशोधन कर सकेगा ; या

(ख) यदि निर्धारिती द्वारा उसकी जानकारी में कोई भूल लाई जाती है तो ऐसा संशोधन कर सकेगा । 50

(4) कोई संशोधन, जिसका प्रभाव किसी निर्धारण को बढ़ाना या किसी प्रतिदाय को कम करना या अन्यथा निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाना है, इस धारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित निर्धारण अधिकारी ने मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज को ऐसा करने के अपने आशय की निर्धारिती को सूचना नहीं दे दी हो और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न मंजूर कर दिया हो ।

website: http://indiabudget.nic.in

(5) जहां इस धारा के अधीन कोई संशोधन किया जाता है, वहां निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई आदेश लिखित में पारित किया जाएगा।

(6) इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां किसी ऐसे संशोधन का प्रभाव निर्धारण को कम करना है वहां निर्धारण अधिकारी ऐसा कोई प्रतिदाय करेगा, जो उस निर्धारिती को देय हो ।

(7) जहां किसी ऐसे संशोधन का प्रभाव निर्धारण को बढ़ाना या पहले से किए गए प्रतिदाय को कम करना है, वहां निर्धारण अधिकारी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज द्वारा संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश करेगा और इस अध्याय के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

प्रतिभूति संव्यवहार कर के विलंबित संदाय पर ब्याज ।

94. ऐसा प्रत्येक निर्धारिती, जो धारा 90 के अधीन यथा अपेक्षित प्रतिभूति संव्यवहार कर या उसके किसी भाग को उस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा करने में असफल रहता है, प्रत्येक उस मास या मास के भाग के लिए, जिस तक कर या उसके किसी भाग के ऐसे जमा करने में विलंब किया गया है, ऐसे कर के एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगा ।

प्रतिभूति संव्यवहार कर के संग्रहण या संदाय में असफलता के लिए शास्ति ।

95. कोई निर्धारिती, जो,—

(क) संपूर्ण प्रतिभूति संव्यवहार कर या उसके किसी भाग का धारा 70 के अधीन यथा अपेक्षा संग्रहण करने में असफल रहता है;

(ख) प्रतिभूति संव्यवहार कर संगृहीत कर होने पर ऐसे कर की उस धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार के खाते में संदाय करने मे असफल रहता है,—

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट मामले में, उस धारा की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार कर का या धारा 94 के उपबंधों के अनुसार ब्याज का, यदि कोई हो, संदाय करने के अतिरिक्त, शास्ति के रूप में प्रतिभूति संव्यवहार कर की उस रकम के, जिसका संग्रहण करने में वह असफल हुआ था, बराबर राशि का संदाय करने के लिए देखा होगा ;

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में, उस धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कर का और धारा 94 के उपबंधों के अनुसार ब्याज का संदाय करने के अतिरिक्त, शास्ति के रूप में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा तथापि इस खंड के अधीन शास्ति उस प्रतिभूति संव्यवहार कर की रकम से अधिक नहीं होगी, जिसका संदाय करने में वह असफल रहा था ।

विहित विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति ।

96. यदि कोई निर्धारिती सम्यक् समय में ऐसी विवरणी, जिसकी धारा 91 की उपधारा (1) के अधीन या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन दी गई सूचना द्वारा दिए जाने की उससे अपेक्षा की गई है, देने में असफल रहता है तो वह शास्ति के रूप में ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, सौ रुपए की राशि का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

सूचना का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति ।

97. यदि निर्धारण अधिकारी का, इस अध्याय के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुप्रक्रम में यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन सूचना का अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा संदेय किसी प्रतिभूति संव्यवहार कर और ब्याज के अतिरिक्त, यदि कोई है, शास्ति के रूप में ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए दस हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा ।

कतिपय दशाओं में शास्ति का अधिरोपित न किया जाना ।

98. धारा 95 या, धारा 96 या धारा 97 के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उक्त उपबंधों में निर्दिष्ट किसी असफलता के लिए कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी, यदि निर्धारिती यह साबित कर देता है कि उक्त असफलता के लिए युक्तियुक्त कारण था :

परंतु इस अध्याय के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

1961 के अधिनियम 43 के कतिपय उपबंधों का लागू होना ।

99. आय-कर अधिनियम, 1961 की निम्नलिखित धाराओं के उपबंध, जो समय-समय पर प्रवृत्त हों, जहां तक हो सके, प्रतिभूति संव्यवहार कर के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे, जैसे वे किसी आय-कर के संबंध में लागू होते हैं :—

धारा 120, धारा 131, धारा 133क, धारा 156, धारा 178, धारा 220 से धारा 227, धारा 229, धारा 232, धारा 260क, धारा 261 से धारा 262, धारा 265 से धारा 269, धारा 278ख, धारा 282 और धारा 288 से धारा 293 ।

आय-कर आयुक्त (अपील) को अपीलें।

100. (1) धारा 92, के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी निर्धारण आदेश से या इस अध्याय के अधीन निर्धारित किए जाने के अपने दायित्व से इन्कार करने वाले धारा 93 के अधीन किसी आदेश से या इस अध्याय के अधीन शास्ति के उद्ग्रहण के किसी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील विहित प्ररूप में होगी और विहित रीति से सत्यापित की जाएगी और उसके साथ एक हजार रुपए की फीस होगी ।

1961 का 43

(3) जहां कोई अपील उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन फाइल की गई है, वहां आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 249 से 251 के उपबंध, जहां तक हो सके, लागू होंगे ।

अपील अधिकरण को अपील ।

101. (1) आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा धारा 100 के अधीन पारित आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

(2) आय-कर आयुक्त, यदि वह धारा 100 के अधीन आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश पर आक्षेप करता है तो निर्धारण अधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करने का निदेश दे सकेगा ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, यथास्थिति, निर्धारिती या आय-कर आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील विहित प्ररूप में होगी और विहित रीति से सत्यापित की जाएगी और उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील की दशा में उसके साथ एक हजार रुपए की फीस होगी।

(5) जहां कोई अपील उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई है वहां आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 252 से 255 के उपबंध यावत्शक्य लागू होंगे ।

1961 का 43

सत्यापन में मिथ्याकथन ।

102. (1) यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी सत्यापन में ऐसा कथन करेगा या ऐसा लेखा या कथन परिदत्त करेगा, जो मिथ्या है, और जिसके बारे में वह यह जानता है कि वह मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का वह विश्वास करता है या जिसके सही होने का विश्वास नहीं करता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

1974 का 2

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन दंडनीय कोई अपराध, उस संहिता के अर्थान्तर्गत असंज्ञेय समझा जाएगा ।

कार्यवाहियों का संस्थित किया जाना ।

103. किसी व्यक्ति के विरुद्ध, धारा 102 के अधीन किसी अपराध के लिए, मुख्य आय-कर आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

104. (1) केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह समय, जिसके भीतर विवरणी निर्धारण अधिकारी को या किसी अन्य अभिकरण को परिदत्त की जाएगी या कराई जाएगी और वह प्ररूप तथा रीति, जिसमें ऐसी विवरणी धारा 91 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की जाएगी ;

(ख) वह समय, जिसके भीतर विवरणी, धारा 91 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर प्रस्तुत की जाएगी ;

(ग) वह प्ररूप, जिसमें धारा 100 या धारा 101 के अधीन अपील फाइल की जा सकेगीं और वह रीति, जिसमें वे सत्यापित की जा सकेंगी ;

(घ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो इस अध्याय द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

(2) इस अध्याय के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह कुल तीस दिन की अवधि के लिए संत्र में हो, जो एक या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा/रखी जाएगी और यदि, पूर्वोक्त सत्र या आनुक्रमिक सत्रों के ठीक पश्चात्वर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम या अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात्, वह नियम या अधिसूचना, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी या निष्प्रभाव हो जाएगा/हो जाएगी, तथापि, ऐसे उपांतरण या निष्प्रभाव होने से उस नियम या अधिसूचना के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

105. (1) यदि इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से जिसको इस अध्याय के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।